निग / 2923 / II / 15

न्यायालय श्री मान् राजस्व मंडल कोर्ट कैम्प रीवा सिमाडा रीवा म०प्र०

Rs. 20/-

2.93
3-8-15

1- बेवा सुशीला देवी पति स्व० कृष्णानंद तिवारी उम्र 65 साल

2- मुनेन्द्र प्रसाद तिवारी पिता स्व० श्री कृष्णानंद तिवारी उम्र 48 साल पेशा- कृषि

एवं दोनो निवासी ग्राम ओबरा तहसील सेमरिया जिला रीवा म०प्र०

श्री [signature] के द्वारा आज दिनांक 03.8.15 प्रस्तुत किया गया।
रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

.... निगरानी कर्ता गण

बनाम

1- अंजू पति श्री धीमन्त कुमार तिवारी उम्र 21 साल पेशा- घरूकार्य निवासी ग्राम ओबरा तहसील सेमरिया जिला रीवा म०प्र०

2- म०प्र० शासन ..... गैर निगरानी कर्ता

निगरानी तहसीलदार महोदय तहसील सेमरिया द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.5.15 रा.प्र.क्र. 14/अ12/2014-15 आवेदन पत्र धारा 129 म०प्र० भू. रा.सं. 1959 ई० मे पारित आदेश के विरूद्ध

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू. राजस्व संहिता 1959 ई०

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

महोदय,

निगरानी के संक्षिप्त सार इस प्रकार है

- - - - - - - - - - -

यह कि यह निगरानी निगरानी कर्ता गण के द्वारा आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 129 म०प्र० भू. रा. सं. 1959 ई० के आवेदन पत्र मे अनुचित व गलत तरीके से की गई कानूनी त्रुटियो के आधार पर पारित आदेश दिनाक 28.5.15 तहसीलदार महोदय तहसील सेमरिया रीवा से दु:खित होकर निगरानी प्रस्तुत की जा रही है, निगरानी मे तहसीलदार महोदय तहसील सेमरिया द्वारा

...2

[signatures]

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 2923-II/15 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3-2-16	प्रकरण में निगरानीकार के विद्वान अभिभाषक के तर्क सुने गए तथा उपलब्ध अभिलेख का परिशीलन किया गया। इनके आधार पर मैं प्रकरण में निम्न बिन्दु प्रमुखता से विचार योग्य पाता हूँ :- (क) फील्ड बुक तथा पंचनामा दि. 18.3.15 के हैं, जबकि प्रकरण दि. 12.4.15 को संस्थित हुआ है, जो मौका कार्यवाही के बाद की दिनांक है। (ख) सीमांकन स.नं. 219 ग्राम ओबरा के बटे नम्बरों का किया गया है, जबकि पटवारी के प्रमाणित ट्रेस नक्शा दि. 10-4-15 में स.नं. 219 के बटे नम्बरों की कोई तरमीम नहीं है। अर्थात बटे नम्बरों की नक्शे पर विधिवत तरमीम पहले कराए बगैर मौके पर इन बटांकों का सीमांकन किया गया है। यह उचित नहीं है। उपरोक्त दोनों बिन्दुओं के प्रकाश में मैं आक्षेपित आदेश दि. 28-5-15 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं पाता हूँ और उसे निरस्त करता हूँ। साथ ही	

[कृ. प. उ.

2

R-2923-III/15 रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	तहसीलदार सेमरिया को यह निर्देश भी देता हूँ कि वे विषयांकित खातों की पहले नक्शे पर विधिवत तरमीम की कार्यवाही करें, और उसके बाद आवेदित सीमांकन की कार्यवाही विधिवत कराएं। आदेश पारित। पक्षकार एवं तहसीलदार-सेमरिया सूचित हों। प्रकरण समाप्त । दा-द-हो। (हस्ताक्षर) (सदस्य)	

M